राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक : प. 2 निकृवि / मं.सु. / किसान कलेवा योजना / 2014 / 45453-605 दिनांक : 20.01.2014

क्षेत्रीय संयुक्त / उप निदेशक
कृषि विपणन विभाग,
समस्त।

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
समस्त।

विषय :–मंडी प्रांगण में आने वाले कृषकों एवं मंडी में कार्यरत हम्मालों / पल्लेदारों को रियायती दर / अनुदानित दर पर भोजन व्यवस्था "किसान कलेवा योजना 2014" लागू करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य की "विशिष्ठ" श्रेणी, "अ"श्रेणी एवं "ब" श्रेणी की मंडियों में जो काश्तकार कृषि जिंसे विक्रय हेतु ट्रेक्टर ट्रोली, उंट गांडी या अन्य साधनों से लेकर आते हैं, उन्हें मण्डी यार्ड में आने के पश्चात विभिन्न प्रकिया पूरी होने तक काफी समय लगता है और मंडी यार्ड में रूक कर भोजन भी करना पडता है। मंडी प्रागंणो में आने वाले कृषकों एवं पल्लेदार / हम्मालो को भोजन व्यवस्था किये जाने हेतु विभागीय स्तर पर विचार–विमर्श उपरांत राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात "किसान कलेवा योजना 2014" निम्नानुसार लागू की जाती है :–

1. "विशिष्ठ" श्रेणी, "अ" श्रेणी एवं "ब" श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि जिन्स विपणन हेतु लाने वाले प्रत्येक कृषक व उसके सहयोगी को कूपन व्यवस्था के माध्यम से उस दिन सस्ता एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना चाहिए। भोजन के अन्तर्गत एक थाली में निम्न प्रकार से भोजन दिया जायेगा:–
   1. चपाती 6 (200 ग्राम आटा गेंहू)
   2. दाल 1 कटोरी (125 ग्राम)
   3. सब्जी 1 कटोरी (125 ग्राम)
   4. गुड 50 ग्राम (सर्दियों में अक्टूबर से मार्च)
   5. छाछ 200 मि.ली. (गर्मियों में अप्रैल से सितम्बर)

2. भोजन थाली का अधिकतम मूल्य 30 रू. निर्धारित है। जिसमें से 5रू. कृषक / पंजीकृत हम्माल / पल्लेदार द्वारा तथा शेष राशि का भुगतान अनुदान के रूप में मंडी समिति द्वारा किया जायेगा।

3. मंडी प्रांगण के प्रवेश द्वार पर कृषक द्वारा अपनी उपज का प्रवेश पत्र प्राप्त करने पर प्रति वाहन अधिकतम 2 व्यक्तियों का कूपन "किसान कलेवा योजना" का एक कूपन मंडी समिति कर्मचारी द्वारा जारी कर प्रवेश पत्र पंजिका में उसका संदर्भ अंकन किया जायेगा एवं पंजीकृत हम्माल / मजदूर को अपना पंजीकृत पत्र दिखाने पर जारी किये जाने वाले कूपन के इन्द्राज हेतु पृथक पंजिका संधारित कर उन्हें जारी किये जाने वाले कूपनों का इन्द्राज दैनिक आधार पर आवश्यक रूप से करना होगा।

4. जिन "स" एवं "द" श्रेणी मंडियों की आर्थिक स्थिति एवं व्यवस्थायें अच्छी है एवं वे मंडी समितियां इस योजना को लागू करने में रूचि रखती है, उन मंडी समितियों द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकार से अनुमति पश्चात इस योजना को लागू करने पर विचार किया जा सकेगा।

5. यह योजना फल सब्जी यार्डो के लिए व्यवहारिक नही है क्योंकि इन जिन्सो की प्रकृति के अनुसार यार्डो में कृषक अपनी जिन्स का प्रातः जल्दी विक्रय कर प्रस्थान कर जाते है। यह जिन्से शीघ्रनाशी प्रकृति के होने के कारण कृषक इन्हें संग्रहित नही कर पाते है और न ही कृषक यार्ड में रूकते है। इस कारण इस योजना को फल एवं सब्जी उत्पादक कृषकों के लिए व्यवहारिक नही पाया गया एवं इसीलिए यह योजना फल सब्जी मंडी यार्डो मे लागू नही किये जाने का निर्णय किया गया है।

6. योजना में पारदर्शिता, भोजन की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं की समय–समय पर जांच हेतु एक स्थाई कमेटी होगी, जिसमें निम्न सदस्य होगें–
   1. अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति।
   2. अध्यक्ष व्यापार मंडल।
   3. सचिव कृषि उपज मंडी समिति।

   यह समिति भोजन की गुणवत्ता, समय पर उपलब्धि आदि की शिकायत पाये जाने पर संबंधित ठेकदार के विरूद्व नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तावित करेगी।

7. गुणवत्ता नियंत्रण एवं व्यवस्था की संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक एवं निदेशालय से जाने वाले निरीक्षणकर्ता अधिकारी भी आवश्यक रूप से जांच करेगें तथा पाये गये तथ्यों का निरीक्षण रिर्पोट में अनिवार्य रूप से उल्लेख करेगें।

8. भोजन थाली अनुदान राशि के भुगतान हेतु संबंधित मंडी समिति को मंडी शुल्क से प्राप्त आय की 2 प्रतिशत राशि तक की सीमा तक खर्च कर सकेगी। 2 प्रतिशत से अधिक राशि होने पर पर्याप्त समय रहते निदेशालय को समुचित प्रस्ताव प्रेषित कर बजट स्वीकृति प्राप्त करेगी।

9. सामान्यतः कृषक द्वारा मध्यान्ह् पूर्व ही मंडी प्रांगण में कृषि उपज बेचान हेतु लाई जाती है एवं उसका विकय मध्यान्ह् पश्चात होने के उपरान्त तुलाई एवं भुगतान आदि व्यवस्था में मंडी प्रांगण में ही उसे शाम हो जाती है। अतः मंडियों मे आने वाले कृषको को भी रियायती दर पर भोजन व्यवस्था की योजना लागू की जाने से मंडी समितियों द्वारा कृषको को समय पर भोजन उपलब्ध हो सकेगा एवं मंडी का सीधा संपर्क होने से नियमन व्यवस्था से मिलने वाले लाभ भी किसान को मिल सकेगें। इस प्रकार कृषको का मंडी प्रांगणों की ओर रूझान बढेगा जिससे कृषक अपनी उपज का बेचान मंडी प्रांगण में करने को उत्साहित होगा इससे कृषको को मंडी प्रांगणो में नियमन व्यवस्था प्रभावी होने से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होगा और राज्य के कृषको में सकारात्मक संदेश जायेगा जो सरकार के कृषको के प्रति संवेदनशीलता को भी प्रदर्शित करेगा। मंडी प्रांगणों में आवक बढने से मंडी शुल्क के रूप में मंडियों की आय में भी बढोतरी होगी।

(अनिल गुप्ता)
निदेशक
कृषि विपणन
o/c

क्रमांक : प. 2 निकृवि/मं.सु./किसान कलेवा योजना/2014/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजि सचिव, माननीय कृषि, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग, मत्स्य, उद्यान एवं कृषि विपणन मंत्री, राजस्थान सरकार, ।
2. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, कृषि शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रशासक/सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
7. समस्त विभागीय अधिकारी, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।

निदेशक 20/1/14
कृषि विपणन
o/c